

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 56 / 2016
 संस्थापित दिनांक 15 / 02 / 2016
 फाइलिंग नं. 230303001942016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. दीपक उर्फ कालू पुत्र भगवती गौण
 उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 गोहद
 जिला भिण्ड म.प्र.
2. भगवती गौण पत्नी रामानंद गौण
 उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 गोहद
 जिला भिण्ड म.प्र.

.....अभियुक्त

.....
 (अपराध अंतर्गत धारा— 324 एवं 324 / 34 भा.दं.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री एम.एस.यादव ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 15 / 02 / 17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 15 / 12 / 15 को 9 बजे वार्ड नं. 13 गोहद में फरियादी संजू शाक्य को अपमानित करने के आशय से गाली गलोज कर प्रकोपित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजू शाक्य की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी दीपक उर्फ कालू पर भा.दं.सं. की धारा 504, 324 तथा आरोपी भगवती पर भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 324 / 34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15 / 12 / 15 को सुबह कीरबन 9 बजे फरियादी संजू अपने दरवाजे पर नहा रहा था तभी भगवती गौण और उसका लड़का कालू आये थे। आरोपीगण गालीगलोज करने लगे थे, जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो कालू ने उसकी पीठ में मारपीट की थी एवं भगवती ने उसके थाप-थप्पड़ मारे थे उसे बचाने उसकी मां सुखदेवी आयी। सुखदेवी ने उसे बचाया था और घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गोहद में अदम चैक क्र. 349 / 15 लेखबद्ध की थी एवं फरियादी संजू को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा भा। फरियादी संजू की चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी को आयी चोट मानव दांत के काटने से आना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 7 / 16 पर

अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी संजू द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 504 के आरोपी से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी दीपक पर भा.दं.सं. की धारा 324 तथा आरोपी भगवती पर भा.दं.सं. की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15/12/15 को करीबन 9 बजे वार्ड क्र. 13 कस्बा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजू की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी संजू अ.सा. 1 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध फरियादी संजू अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक-डेढ़ साल पहले सुबह नौ दस बजे की है वह अपने घर के दरवाजे पर नहा रहा था, तभी आरोपी भगवती और कालू आये थे। आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोज कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी, उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कालू ने उसकी पीठ में दांतों से काट लिया था एवं भगवती ने उसे थप्पड़ मारे थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करनेवाली बात अदम चैक क्र. प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखाई थी।

8. इस प्रकार फरियादी संजू अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था आरोपीगण ने गालीगलोज कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी

उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि कालू ने उसकी पीठ में दांतों से काट लिया था। इस प्रकार फरियादी संजू अ.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी संजू की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

9. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यद अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 15/12/15 सुबह करीबन 9 बजे वार्ड क्र. 13 कस्बा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजू की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी दीपक उर्फ कालू को भा.दं.सं. की धारा 324 एवं आरोपी भगवती को भा.दं.सं. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 15 / 02 / 2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।
सही /—

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।
सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)